कम्प्यूटर सं० - 1819095/4-2-19

पत्रांकः जी0एस0टी0/2018-19/F.No. 455 (Circular)/ 1192 /वाणिज्य कर

कार्यालय- कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।
(जी.एस.टी. अनुभाग)
लखनऊः दिनांकः 04 फरवरी, 2019

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,
ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक),
ज्वाइन्ट कमिश्नर (कॉर्पोरेट सर्किल)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषयः- प्रदेश के बड़े करदाताओं से रिटर्न तथा देयकर समय से जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।

प्रदेश के राजस्व संग्रह में बड़े करदाताओं के योगदान के दृष्टिगत बड़े करदाताओं से रिटर्न एवं देयकर समय से जमा कराये जाने के निर्देश मुख्यालय स्तर से नियमित रूप से दिये जाते रहे हैं।

जी.एस.टी.एन. से प्राप्त एम.आई.एस. की मुख्यालय स्तर पर समीक्षा पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि राज्य कर प्रशासन के क्षेत्राधिकार में पंजीकृत 830 ऐसे व्यापारियों द्वारा माह दिसम्बर, 2018 का रिटर्न-3बी दिनांक 29.01.2019 तक दाखिल नहीं किया गया है, जिनकी वर्षः 2017-18 में घोषित टर्नओवर रू0 5 करोड़ से अधिक है तथा जिन्होंने अपने अंतिम रिटर्न के साथ रू0 1 लाख से अधिक धनराशि नकद जमा करायी गयी है।

इन 830 व्यापारियों द्वारा दाखिल अंतिम रिटर्न-3बी के साथ रू0 159.74 करोड़ नकद राजस्व प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय यह भी है कि इन व्यापारियों में से कुछ व्यापारियों द्वारा एक से अधिक माह के रिटर्न-3बी दाखिल नहीं कराये गये हैं। स्पष्ट है कि बड़े करदाताओं द्वारा समय से रिटर्न एवं कर जमा न कराने से अपेक्षित राजस्व का बड़ा अंश समय से प्राप्त नहीं हो पाता है।

प्रदेश के रू0 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर के ऐसे 830 व्यापारियों, जिनके द्वारा माह दिसम्बर, 2018 का रिटर्न-3बी अभी तक जमा नहीं किया गया है, की सूची संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि नॉन फाइलर्स का विवरण सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए अपने जोन/सम्भाग के बड़े करदाताओं से रिटर्न-3बी एवं देयकर प्राथमिकता पर जमा कराना सुनिश्चित करें।

यह निर्देश भी दिये जाते हैं कि वर्षः 2017-18 के आँकड़ों के आधार पर प्रत्येक जोन एवं सम्भाग में 100 बड़े करदाताओं तथा कॉर्पोरेट सर्किल में पंजीकृत सभी करदाताओं का विवरण रखा जाये तथा बड़े करदाताओं द्वारा दाखिल रिटर्न-3बी की नियमित समीक्षा करते हुए बड़े करदाताओं से देय रिटर्न एवं कर नियत समयावधि में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

निर्देशों का शत्-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।